

समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला शस्त्र शाखा)

आदेश

प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-एन0/गृ0 वि0 आवंटन-2-03/2013 149 दिनांक 04.03.2014 द्वारा राज्य के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को वित्तीय वर्ष 2013-14 में सम्मान भत्ता की भुगतान हेतु प्राप्त आवंटन से नीचे लिखे विवरणी के अनुसार जिले के पेंशनधारी स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके आश्रितों को वर्ष-2013-14 के लिए सम्मान भत्ता भुगतान हेतु कुल-23,28,000=00 (तेईस लाख अठ्ठाईस हजार) रुपये सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को उपावंटित करते हुए बिहार सेवा संहिता-2011 के नियम-84 के तहत सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राधिकृत किया जाता है।

क्र0	अनुमंडल का नाम	स्वतंत्रता सेनानी एवं उसके आश्रितों की संख्या	आवंटित राशि सम्मान भत्ता के रूप में 2000 की दर से वर्ष-2013-14 के लिए	बकाया	कुल
01	02	03	04	05	06
1	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल	12	2,88,000.00	—	2,88,000.00
2	अनुमंडल पदाधिकारी, सदर	18	4,32,000.00	—	4,32,000.00
3	अनुमंडल पदाधिकारी, पकडीदयाल	13	3,12,000.00	—	3,12,000.00
4	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज	24	5,76,000.00	—	5,76,000.00
5	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया	14	3,36,000.00	—	3,36,000.00
6	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना	16	3,84,000.00	—	3,84,000.00
7	जिला स्तर पर	—	—	—	13,26,000.00
				कुल-36,54,000.00 (छतीस लाख, चौवन हजार रुपये मात्र।)	

- यह राशि बजट शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्य शीर्ष-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम-लघु शीर्ष-200 अन्य कार्यक्रम-उप शीर्ष-0003 स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को विशेष भत्ता के विषय-4201- एक मुस्त प्रावधान तथा विपत्र कोड सं0-एन 2235602000003 से विकलीय होगा। माँग संख्या-22 है।
- इस राशि की निकासी मोतिहारी कोषागार से की जाएगी।

[Signature]

- 4 यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के स्थाई निदेश संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।
- 5 बजट शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200 अन्य कार्यक्रम-0003-विपत्र कोड सं० एन-2235602000003 के अन्तर्गत आवंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में ए०सी० विपत्र से नहीं किया जायेगा। आवश्यकतानुसार राशि की निकासी Fully Vouched and Prerecieped Bill पर ही किया जायेगा ताकि भविष्य में डी०सी० विपत्र जमा करने की स्थिति उत्पन्न नहीं हो।
- 6 आवंटित राशि में से केन्द्रीय राजस्व से पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को सम्मान भत्ता का भुगतान निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उचित पहचान पर पूर्व की भाँति प्रति माह किया जाएगा।
- 7 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी मासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से टी०भी नं० एवं तिथि के साथ जिला सामान्य प्रशाखा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।


६६ -

जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

ज्ञापांक २७१ / दिनांक ६/३/१४

प्रतिलिपि:- सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-एन०/गृ०वि० आवंटन- 2-03 / 2013-149 दिनांक-04.03.2014 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:-विवरणी "क" के साथ सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/कोषागार पदाधिकारी, मोतिहारी एवं सभी अंचल अधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



जिलाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।